- 14/14/70 **SHRI NEERAJ SHARMA, M.L.A (Faridabad NIT):** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:
 - a) whether it is a fact that a by-pass to be constructed from village Mangar of the NIT Faridabad Assembly Constituency as per the Hon'ble Chief Minister announcement no.- 11148 is lying pending due to acquisition of land and permission from NGT; and
 - b) if so, the steps taken or likely to be taken by the Government to construct the said by-pass togetherwith the details thereof?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

- a) Yes Sir, it is correct that Hon'ble Chief Minister, Haryana has announced "Road of Mangar village will be constructed" vide announcement Code No. 11148 dated 10/04/2016. This C.M. announcement was transferred from Panchayat Department to PWD (B&R) vide order dated 20.01.2017. Later on, Hon'ble Chief Minister, Haryana had approved to transfer this announcement to Forest Department vide U.O. No. 232-RII-17/89068 dated 26.04.2017 and at present being dealt by Forest Department.
- b) Now, Principal Chief Conservator of Forest, Haryana has asked Deputy Commissioner, Faridabad vide DO No. PS/PCCP/988 dated 21.11.2022 that the Government has suggested that DC, Faridabad shall visit with SE/XEN (B&R) & should take the following action:
 - i) Steps need to be taken for securing permission of Hon'ble NGT in terms of above order of Hon'ble Tribunal dated 20.07.2015.
 - ii) The ownership of the land on which the road is to be constructed may be ascertained.
 - iii) The permission from Hon'ble Tribunal can be applied by the owners directly or the owners may be given NOC for construction of the road based on which the PWD (B&R) can make the said application".

Accordingly, further, action in the matter is being taken.

बाईपास का निर्माण करना

48 श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद एन.आई.टी.):

क्या उपमुखमंत्री कृपया बताएंगे कि :-

- (क) क्या यह तथ्य है कि एन.आई.टी. फरीदाबाद विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गाँव मांगर में माननीय उपमुखमंत्री की घोषणा संख्या 11148 के आनुसार निर्मित होने वाला बाई-पास, भूमि आधिग्रहण तथा एन.जी.टी. की अनुमति के कारण लंबित है; तथा
- (ख) यदि हां तो उक्त बाईपास का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए या उठाए जाने की संभावना है तथा उसका बयौरा क्या है।

दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, हरियाणा

- क) हां श्रीमान जी, यह सही है की माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने घोषणा संख्या 11148 दिनांक के तहत मांगर गाँव की सड़क निर्माण करने की घोषणा की थी। यह घोषणा पंचायत विभाग से हरियाणा लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग को दिनांक 20.01.2017 को स्थानांतरित की गई थी। बाद में माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा यू. ओ. संख्या 232-आर -।।-17/ 89068 दिनांक 26.04.2017 के तहत यह घोषणा वन विभाग को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी थी और वन विभाग द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है।
- ख) अब प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा ने डी. ओ. संख्या पी एस / पी सी सी पी / 988 दिनांक 21.11.2022 के द्वारा उपायुक्त, फरीदाबाद को कहा गया है कि सरकार ने सुझाव दिया है कि उपायुक्त, फरीदाबाद/ आधीक्षक आभियंता / कार्यकारी आभियंता के साथ दौरा करे और निम्नलिखित कार्य करे:
 - i) माननीय एन.जी.टी. के दिनांक 20.07.2015 के आदेशानुसार अनुमित प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

- ii) जिस भूमि पर सड़क का निर्माण किया जाना है उसके स्वामी का पता लगाया जाए ।
- iii) माननीय न्यायाधिकरण की अनुमित सीधे मालिकों द्वारा ली जाए या मालिकों द्वारा सड़क के निर्माण के लिए एन.ओ.सी. दी जाए, जिसके आधार पर लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग उक्त आवेदन कर सकता है।

उपरोक्त अनुसार मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है।

